(1000)

APP A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
मुकाम जिला– बून्दी (राज.)

किशनलाल बनाम शोभागमल

मुकदमा नं 156/प्रा0/22 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/7/22	प्रार्थना पत्र वास्ते वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् वकील श्री महावीर कारपेन्टर ने पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया जिसमें प्रा० पत्र सं. 63/2020 गलत तारीख पेशी नोट हो जाने से दिनांक 20/6/22 को अदम हाजरी में खारिज हो गया। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों से न्यायालय न्यायहित में प्रा० पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित समझता है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रा० पत्र सं. 63/2020 बउनवान किशनलाल V/s शोभागमल को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल प्रा० पत्र सं 63/2020 के साथ संलग्न रहे। निर्णय सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:22:14 IST
Reason: SelfAttested